बिड संख्या/Bid Number: GEM/2025/B/6774748
दिनांक /Dated: 10-10-2025

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	24-10-2025 12:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	24-10-2025 12:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	180 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Chhattisgarh
विभाग का नाम/Department Name	Commercial Tax And Excise Department Department Chhattisgarh
संगठन का नाम/Organisation Name	Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited
कार्यालय का नाम/Office Name	Raipur
वस्तु श्रेणी /Item Category	Financial Audit Services - Review of Financial Statements, Financial Reporting Framework, Audit report, As per tender; CA Firm
अनुबंध अवधि /Contract Period	2 Year(s)
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) /Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	7 Lakh (s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
इसी तरह की सेवाओं का पिछला आवश्यक अनुभव है/Past Experience of Similar Services required	Yes
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Exemption for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Exemption for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

बिड विवरण/Bid Details	
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
अनुमानित बिड मूल्य /Estimated Bid Value	180000
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

आवश्यकता/Required	No

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/Bid splitting not applied.

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance	Yes

1. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the

date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
2. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for number of years as indicated above in bid document (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.
3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.
4. Past Experience of Similar Services: The bidder must have successfully executed/completed similar Services over the last three years i.e. the current financial year and the last three financial years(ending month of March prior to the bid opening): -
1. Three similar completed services costing not less than the amount equal to 40% (forty percent) of the estimated cost; or
2. Two similar completed services costing not less than the amount equal to 50% (fifty percent) of the estimated cost; or
3. One similar completed service costing not less than the amount equal to 80% (eighty percent) of the estimated cost.

This Bid is based on Quality & Cost Based Selection (QCBS) . The technical qualification parameters are :-

Parameter Name	Max Marks	Cutoff Marks	Qualification Methodology Document
EXPERIENCE	20	10	View File
FCA'S IN FIRM	20	10	View File
ACA'S IN FIRM	20	10	View File
QUALIFIED ASSISTANTS	20	10	View File
AVERAGE ANNUAL TURNOVER	20	10	View File

Total Minimum Qualifying Marks for Technical Score: 50

QCBS Weightage(Technical:Financial):70:30

Financial Audit Services - Review Of Financial Statements, Financial Reporting Framework, Audit Report, As Per Tender; CA Firm (1)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
कोर / Core	
Scope of Work	Review of Financial Statements , Financial Reporting Framework , Audit report , As per tender
Type of Financial Audit Partner	CA Firm
Type of Financial Audit	Internal Audit
Category of Work under Financial Audit	As per tender
Type of Industries/Functions	Sales, Services and Revenue , Purchase & Procurement , As per tender

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
Frequency of Progress Report	As per tender
MIS Reporting for Financial Audit support	Yes
Frequency of MIS reporting	Monthly
State	NA
District	NA
एडऑन /Addon(s)	
Post Financial Audit Support	NA

अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

---

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	संसाधनों की मात्रा / To be set as 1	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement
1	RAVINDRA KUMAR JAIN	492001,1 Floor Abkari Bhawan, Labhandi, Raipur	1	N/A

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Buyer Added Bid Specific ATC**

   Buyer uploaded ATC document Click here to view the file .

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.

6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for attached categories, trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.

This Bid is governed by the सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions, conditons stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---

——:: अंकेक्षित फर्म का सक्षिप्त विवरण ::—

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर राज्य शासन का एक सार्वजनिक उपक्रम है। निगम का मुख्यालय "आबकारी भवन" छोकरानाला, लभाण्डी, रायपुर में स्थित है। निगम राज्य में विदेशी मदिरा का थोक क्रय/विक्रय एवं देशी मदिरा का भण्डारण एवं वितरण का कार्य करती है। निगम के पास विदेशी मदिरा के भण्डारण हेतु 03 गोदाम क्रमशः रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर जिले में स्थित है। देशी मदिरा के भण्डारण हेतु राज्य के निम्न 12 जिलों में वेयरहाउस संचालित है :— रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, धमतरी, बलौदा—बाजार, महासमुन्द, जांजगीर—चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा।

निगम का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2024—25 में राशि रुपये 1000.00 करोड़ का टर्नओवर संभावित है।

––:: आंतरिक अंकेक्षण हेतु नियम एवं शर्ते ::–

1) आवेदित चार्टर्ड एकाउंटेंट/सी.एम.ए. फर्मो द्वारा फर्म से संबंधित समस्त दस्तावेजों के लिए एवं अंकेक्षण दर हेतु अलग–अलग बंद लिफाफा प्रस्तुत किया जाना होगा है। निगम द्वारा फर्म के संबंध में चाही गई दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत ही, प्रस्तुत अंकेक्षण दर के लिफाफा को खोला जावेगा। निविदा की सेवा शर्तो में संलग्न परिशिष्ट "A" में निर्धारित न्यूनतम आर्हता की पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा। निविदा शर्तो में उल्लेखित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत ही परिशिष्ट "B" में संलग्न फाईनेंशियल बिड पर विचार किया जावेगा।

2) आंतरिक अंकेक्षण का कार्य 02 वर्ष की होगी। कार्य सन्तोषजनक होने पर अंकेक्षण अवधि में वृद्वि की जा सकेगी।

3) आंतरिक अंकेक्षण कार्य हेतु अनुमोदित अंकेक्षण राशि के अलावा किसी भी प्रकार की यात्रा व्यय एवं प्रासंगिक व्यय देय नही होगी।

4) निगम मुख्यालय, संबंधित गोदामों एवं वेयरहॉउसों का निर्धारित बिन्दुओं पर अंकेक्षण उपरांत त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रतिवेदन प्रत्येक तिमाही के समाप्ति उपरांत 30 दिवस के भीतर दिया जाना अनिवार्य होगा। आंतरिक अंकेक्षण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करना होगा, इसके लिए, फर्म के पास अंकेक्षण कार्य हेतु पर्याप्त एवं प्रशिक्षित स्टॉफ होना चाहिए। फर्म द्वारा विलंब से प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में वार्षिक पारिश्रमिक राशि का प्रतिदिन 1% की दर से राशि कटौती की जावेगी। प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कुल 04 तिमाही में अधिकतम 20 विलंब दिवस की छुट होगी। उक्त नियत समय–सीमा में भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किये जाने पर जमा सुरक्षा निधि जब्त व फर्म को काली सूची में डालकर I.C.A.I./I.C.M.A.I को उक्त फर्म के पंजीकृत रद्द किये जाने हेतु लिखा जावेगा।

5) आंतरिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई समस्त त्रुटियों का आंतरिक अंकेक्षक द्वारा नियमानुसार सुधार कार्य किया जावेगा। प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्ति रहित टीप्पणीयों (Comments) को सक्षम प्राधिकारी के अवलोकन उपरांत प्रतिवेदन से हटाना अनिवार्य होगा। साथ ही लेखांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के बारे आवश्यक सलाह देना अनिवार्य होगा।

6) आवेदित चार्टर्ड एकाउंटेंट/सी.एम.ए. फर्मो का निविदा जारी दिनांक तक किसी भी बैंक/राज्य शासन/केन्द्र शासन/राज्य पी.एस.यू/सी.पी.एस.यू./एस.आई.बी./पब्लिक युटिलिटी द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्ट नही किया गया है। (इस हेतु स्व–सत्यापित प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।)

7) आवेदित चार्टर्ड एकाउंटेंट/सी.एम.ए. फर्मो के खिलाफ नैतिक अधमता या किसी भी लागू कानून के उल्लंघन के आधार पर कोई कानून मुकदमा/अंतिम मामला लंबित या विचाराधीन नही होना चाहिए। (इस हेतु स्व–सत्यापित प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।)

08) सफल चार्टर्ड एकाउंटेंट/सी.एम.ए. फर्म अंकेक्षण कार्य को किसी अन्य एजेंसी/चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को हस्तांतरित नही कर सकेगा।

9) चार्टर्ड एकाउंटेंट/सी.एम.ए. फर्म को प्रति तिमाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत अधिकतम 45 दिवस के भीतर पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा। केवल अंतिम/चतुर्थ तिमाही का पारिश्रमिक राशि उक्त वर्ष के वैधानिक अंकेक्षक के रिर्पोट प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।

10) सफल चार्टर्ड एकाउंटेंट/सी.एम.ए. फर्मो को कार्यादेश/अनुबंध निष्पादन के 10 दिवस के भीतर सुरक्षा निधि राशि के रुप में अनुमोदित पारिश्रमिक का 3% या राशि रुपये 1,00,000/– जो भी अधिक हो, NEFT/RTGS के माध्यम से निगम खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जिसे कार्यादेश समाप्ति उपरांत वापस किया जावेगा। यदि सफल फर्म अनुबंध के अनुसार अपने किसी दायित्वों का पालन करने या निष्पादन करने में विफल होगा, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा सुरक्षा निधि राशि को पूर्णतः या आंशिक रुप से जब्त कर लिया जावेगा।

11) निविदा में भाग लेने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट/सी.एम.ए. फर्मो के प्रस्तुत पारिश्रमिक समान होने की स्थिति में, समान पारिश्रमिक प्रस्तुत करने वाले फर्मो से भौतिक रुप से निगोसियेशन पारिश्रमिक लिया जाकर, न्यूनतम पारिश्रमिक प्रस्तुत किये जाने वाले फर्म को कार्यादेश दिया जावेगा।

12) वर्तमान में निगम के साथ जुड़े वैधानिक अंकेक्षक/टैक्स सलाहकार/कंपनीय मामलों के सलाहकार/टी.डी.एस. व जी.एस.टी. रिर्टन प्रस्तुत करने वाले फर्म इस निविदा में भाग लिये जाने हेतु पात्र नही होगें।

13) किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर

SCOPE OF AUDIT
(Head Office, Godowns & Wearhouse)

क्र.	अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण की सीमा
1.	Godown Commercial (Filed) Raipur / Bilaspur/Durg & 12 Wearhosue	1. वित्तीय वर्ष के स्टांक पंजी अनुसार गोदामों एवं वेयरहाउसों में क्रय एवं विक्रय की संपूर्ण दस्तावेजों की जांच करना।
		2. विनिर्माता / प्रदायकर्ता इकाईयों से क्रय किये गये विदेशी मदिरा को लैंडिग प्राईस के आधार पर बिलों की जांच करना, साथ ही विनिर्माता / प्रदायकर्ता इकाईयों का समाशोधन प्रपत्र (Reconciliation Statment) तैयार करना अनिवार्य होगा। Reconciliation Statement के संबंध में आवश्यक सुधार / प्रस्ताव दिया जाना होगा।
		3. गोदामों में हुई, ब्रेकेज (टूट–फूट) जैसे, गोदाम ब्रेकेज एवं परिवहन ब्रेकेज की साफ्टवेयर से बिल वाईस व पंचनामा वाईस जांच कर करना एवं सही स्थिति को साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराना।
		4. लायसेंसियों को विक्रय की गई विदेशी मदिरा के विरुद्ध जमा की गई राशि का विक्रय से मिलान कर कमी / वृद्धि का विवरण प्रस्तुत करना।
2.	Head Office, Raipur Account (Filed)	1. मुख्यालय में स्थित केशबुक, व्यय से संबंधित व्हाउचर का मिलान / परीक्षण उपरांत एकाउटिंग से संबंधित आवश्यक प्रविष्टि करना, निगम के बैंक खातों का बैंक समाशोधन प्रपत्र (Bank Reconciliation Statment) तैयार करना, साथ ही व्ययों के भुगतान के संबंध में नियमों अनुसार भुगतान होने व नही होने के संबंध में प्रतिवेदन दिया जाना होगा।
		2. मुख्यालय स्तर में जमा किये गये टी.डी.एस. जी.एस.टी. कटौती एवं समस्त प्रकार के रिटर्न की जांच कर प्रतिवेदन दिया जाना अनिवार्य होगा।
		3. वित्तीय वर्ष के लेखों का त्रैमासिक परीक्षण उपरांत त्रैमासिक तलपट ,लाभ / हानि, चिट्ठा तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
		4. एकाउन्ट से संबंधित जैसे अदत्त व्यय, पूर्व दत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय एवं प्रावधानों की खातों से जांच उपरांत आवश्यक समायोजन प्रविष्टि करना।

आंतरिक अंकेक्षण हेतु योग्यता :–

1/ आवेदित फर्म सी.ए./सी.एम.ए. फर्म कम से कम दस (10) वर्षो से कार्य कर रही हो। जिसके सत्यापन में I.C.A.I./I.C.M.A.I में पंजीकृत का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (सत्यापन हेतु प्रति संलग्न करें।)

2/ आवेदित फर्म सी.ए./सी.एम.ए. का छत्तीसगढ़ राज्य में कम से कम 02 शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था (बैंकों को छोड़कर) में विगत 03 वर्षो तक आंतरिक अंकेक्षक एवं 03 वर्षो तक वैधानिक अंकेक्षण कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। (सत्यापन हेतु कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें।)

3/ आवेदित फर्म का पंजीयन कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में होना आवश्यक है, साथ ही अस्थायी कार्यालय जिला–रायपुर (छ.ग.) में होना अनिवार्य है। (सत्यापन हेतु प्रमाण–पत्र/गुमाशता की प्रति संलग्न करें।)

4/ आंतरिक अंकेक्षण हेतु आवेदित फर्म में कुल 2 एफ.सी.ए., 1 सी.ए. एवं 10 सहायक का होना अनिवार्य है। (संबंधितों का संपूर्ण बायोडॉटा संलग्न करें।)

5/ आवेदित फर्म का पिछले 03 वर्षो (2021–22, 2022–23, 2023–24) की अवधि के दौरान न्यूनतम औसत पेशेवर प्राप्ति राशि रुपये 1.00 करोड़ होना अनिवार्य होगा। (सत्यापन हेतु ऑडिटेड बैलेंस की प्रति संलग्न करें।)

वित्तीय प्रस्ताव (सेवा शुल्क) परिशिष्ट "II" के अनुसार प्रारुप में भरा जायेगा।

मूल्यांकन का मापदण्ड :—

निविदा का मूल्यांकन 70% तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर एवं 30% वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। निविदाकार जो न्यूनतम पात्रता मापदंड पूरा करते है एवं मूल्यांकन में उच्चतम अंक/श्रेणी प्राप्त करते है (तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय मूल्यांकन में प्राप्त अंको को जोड़कर) इस निविदाकार को सफल निविदाकार माना जाएगा एवं आगे की प्रक्रिया के लिए L1 निविदाकार घोषित किया जावेगा।

क्रं.	कार्य विवरण	विवरण	दस्तावेज	अधिकतम अंक
1.	अनुभव	न्यूनतम 03 वर्ष के अनुभव पर 10 अंक एवं प्रत्येक 01 वर्ष के अतिरिक्त अनुभव पर 05 अंक	शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संस्था के कार्यानुभव का प्रमाण—पत्र संलग्न करें।	20
2.	फर्म में FCAs	फर्म में न्यूनतम 02 FCAs होने पर 10 अंक एवं प्रत्येक 02 अतिरिक्त FCAs होने पर 05 अंक	फर्म में FCAs होने संबंधी प्रमाण—पत्र संलग्न करें। (पार्टनर डीड)	20
3	फर्म में ACA	फर्म में न्यूनतम 01 ACA होने पर 10 अंक एवं प्रत्येक 01 अतिरिक्त ACA होने पर 05 अंक	फर्म में ACA होने संबंधी प्रमाण—पत्र संलग्न करें। (पार्टनर डीड)	20
4	फर्म में Qualified Assistants	फर्म में न्यूनतम 10 Qualified Assistants होने पर 10 अंक एवं प्रत्येक 05 अतिरिक्त Qualified Assistants होने पर 05 अंक	फर्म में Qualified Assistants होने संबंधी प्रमाण—पत्र संलग्न करें। Qualified Assistants की न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता बी.काम होना अनिवार्य है।	20
5	वार्षिक व्यवसाय	फर्म का विगत 03 वर्षो में (2021—22, 2022—23, व 2023—24) औसत वार्षिक व्यवसाय (Turnover) राशि रुपये 7 लाख पर 10 अंक एवं प्रत्येक 05 लाख के अतिरिक्त वार्षिक व्यवसाय (Turnover) होने पर 05 अंक	औसत वार्षिक व्यवसाय (Turnover) के संबंध में ऑडिटेड बैलेंस शीट की सत्यापित प्रति संलग्न करें।	20